

संख्या : 14/1/2013-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 7 जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू योजना के लिए 18 जनवरी, 2013 को आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की पहली बैठक (2013 सीरीज) - एजेंडा अग्रेषित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को वाणिज्य सचिव श्री एस आर राव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 18 जनवरी, 2013 को पूर्वाह्न 10:00 बजे ईओयू योजना के लिए आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की पहली बैठक (2013 सीरीज) के लिए एजेंडा मर्दों की प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

(एस एस कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : 23062496
ई-मेल : kumar.ss@nic.in

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी (सदस्य, सीमा शुल्क), वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी (सदस्य, आयकर), वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. सभी विकास आयुक्त।

प्रति प्रेषित : वाणिज्य सचिव के पीपीएस / अपर सचिव (एमपी) के पीपीएस / संयुक्त सचिव (एडब्ल्यू) के पीएस / निदेशक (एसएस) के पीएस

ईओयू योजना के लिए 18 जनवरी, 2012 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित की जाने वाली बीओए की पहली बैठक (2013 सीरीज) के लिए एजेंडा

मद सं.	आवेदक कंपनी	अनुरोध / प्रस्ताव	प्रशासनिक मंत्रालय	क्षेत्राधिकार वाला एसईजेड
1.1(13)	वाणिज्य विभाग	23 नवंबर, 2012 को आयोजित बीओए की पांचवीं बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि	बोर्ड के सभी सदस्य	सभी एसईजेड
नए प्रस्ताव				
1.2(13)	मैसर्स प्लाज्मा प्राइवेट लिमिटेड	देशज मेजानाइन ले आउट के साथ स्टोरेज रैक के इयूटी फ्री प्रापण के लिए अनुमति के संबंध में	डीजीईपी, डीजीएफटी	सीएसईजेड
अपील / निजी सुनवाई				
1.3(13)	मैसर्स गीतांजली ऊलन्स प्राइवेट लिमिटेड	14 सितंबर, 2012 को आयोजित बीओए बैठक में लिए गए निर्णय के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि कम करना	डीजीईपी, डीजीएफटी	केएसईजेड
1.4(13)	मैसर्स बिग बैग्स	सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय का आदेश – विकास आयुक्त तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा 27 जनवरी, 2007 के बाद एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए उनके अनुरोध की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील	डीजीईपी, डीजीएफटी	सीएसईजेड

भाग-2

1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदनों की अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुष्टि

(क)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	सीएसईजेड
(ख)	1 अप्रैल, 2012 से 30 सितंबर, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एफएसईजेड
(ग)	अक्टूबर से नवंबर, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	आईएसईजेड
(घ)	1 अक्टूबर, 2010 से 31 दिसंबर, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	केएसईजेड
(ङ)	अगस्त से अक्टूबर, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एमएसईजेड
(च)	जुलाई, 2012 से दिसंबर, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एनएसईजेड
(छ)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	एसईईपीजेड – एसईजेड
(ज)	1 अगस्त, 2012 से 31 दिसंबर, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन तथा दिनांक 14 मार्च, 2000 का एक पुराना मामला	वीएसईजेड